रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1975/श्रावण 29, 1897

No. 315] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1975/SRAVANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August 1975

S.O. 439(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri R. B. Pradhan, Managing Director of the Life Insurance Corporation of India, as Chairman of the said Corporation in addition to his duties as Managing Director, on a temporary basis, *vice* Shri K. R. Puri, appointed as Governor, Reserve Bank of India.

[No. F. 81(17)-Ins.II/74]

R. D. THAPAR, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1975

का० आ० 439 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के० आर० पुरी के स्थान पर, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री आर० बी० प्रधान को, प्रबंध निदेशक के अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अस्थायी आधार पर उक्त निगम के अध्यक्ष-पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त करती है।

[सं० फा० 81 (17)-बीमा-2/74]

आर० डी० थापर, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975